e-mail – pakur.mdm@gmail.com

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़

आवश्यक–सूचना

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1561 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न वर्षों में राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति एवं अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों की 3 वर्ष की अवधि पूरा करने के पश्चात् सेवा सम्पुष्टि संबंधी कार्य एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु निदेश पूर्व में विभागीय सचिव के स्तर से निर्गत है, उपरोक्त के आलोक में पाकुड़ जिले में अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षकों की 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षक जिन्होंने परीक्ष्यमान अवधि पूरा कर ली हो वैसे सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं के सेवा सम्पुष्टि हेतु कैम्प लगाकर वांछित अभिलेख जाँच कर सेवा सम्पुष्टि की जानी थी। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के द्वारा अपने प्रखंडाधीन कार्यरत शिक्षकों का सेवा सम्पुष्टि संबंधी अभिलेखों की जाँच कैम्प लगाकर किया गया तदोपरांत जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को समर्पित किया है। संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर कुल शिक्षकों की संख्या 840 है। उपायुक्त, पाकुड़ के ज्ञापांक 1313/शिक्षा दिनांक 25.09.2021 द्वारा शिक्षकों की सेवा सम्पुष्टि हेतु जाँच दल गठित किया गया। जाँच दल द्वारा शिक्षकों के कार्यकलाप प्रमाण पत्र, स्वच्छता प्रमाण पत्र, वार्षिक गोपनीय प्रपत्र, विभागीय कार्यवाही प्रमाण पत्र, मूल सेवा पुस्तिका की स्वच्छता की जाँच कर सूची जिले के वेबसाईट **www.pakur.nic.in** पर अपलोड किया जा रहा है। संबंधित शिक्षक/शिक्षिकाओं से अनुरोध है कि प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो अपना अपना दावा आपत्ति (साक्ष्य सहित) दिनांक 18.10.2021 के अपराहन 5:00 बजे तक Speed Post/ई–मेल pakur.mdm@gmail.com के माध्यम से (एक ही P.D.F. फाईल में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त दावा मान्य नहीं होगा।

09/10/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
–सह–
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी
पाकुड़

Printed by – M@noJ S!ngH